न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :– 42/20115

(आरसीएमएस नम्बर :– 2015/00022)

उनवान प्रकरण

1–ओमप्रकाश आयु करीब 50 वर्ष । पुत्रगण मिहीलाल, जातिगण कुम्हार
2–मुन्नालाल आयु करीब 45 वर्ष । निवासी गोबर चौकी ताजगंज आगरा उ0प्र0
.............................अपीलान्ट्स

बनाम

1–श्रीमान तहसीलदार साहब धौलपुर
2–महेश । पुत्रगण । जातिगण कुम्हार
3–जीतेन्द्र । स्व0 रामस्वरूप ।
4–आशा पुत्री स्व0 रामस्वरूप । निवासीगण शेखूपुर हाल निवासी ग्राम मढाभाऊ
5–मीना पत्नी स्व0 रामस्वरूप । तहसील व जिला धौलपुर
6–विमला । पुत्रीगण शिवदेई व मिहीलाल जातिगण कुम्हार
7–प्रागो । निवासी गोबर चौकी ताजगंज आगरा उ0प्र0
8–जावित्री वेवा चतुरी । समस्त जातिगण कुम्हार
9–मुरारी । ।
10–महेन्द्र । पुत्रगण । समस्त निवासीगण कुम्हारपाडा गंज पुराना शहर
11–मुकन्दी । । धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
12–भजनलाल। चतुरी ।
13–महेन्द्र पुत्र लवकुश जाति कुम्हार निवासी गली न0 15 नेहरू नगर नई दिल्ली
14–मुन्नालाल । पुत्रगण गंगाराम जातिगण कुम्हार निवासी ग्राम मोतीपुरा
15–सूखाराम । तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
16–मुन्नालाल पुत्र प्रभुलाल । जातिगण कुम्हार निवासीगण कुहावनी
17–मीरा पत्नी मुन्नालाल । तहसील बाडी जिला धौलपुर
18–त्रिवेणी वेवा स्व0 रामभरोसी । समस्त जातिगण कुम्हार
19–मोहनसिंह । ।
20–केदार । । समस्त निवासीगण कुम्हारपाडा
21–जयप्रकाश । पुत्रगण ।
22–मुकेश । स्व0 रामभरोसी । पुराना शहर धौलपुर
23–रामू । । तहसील व जिला धौलपुर
24–सीमा पुत्री रामभरोसी जाति कुम्हार निवासी कुम्हारपाडा पुरानाशहर धौलपुर
25–श्रीमती वेवा । नवाव जाति कुम्हार निवासी सागरपाडा धौलपुर
26–अभिषेक पुत्र । तहसील व जिला धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

27–राजकुमारी । पुत्रीगण नवाव
28–रमा । जातिगण कुम्हार
29–अनीसा । निवासीगण सागरपाडा तहसील व जिला धौलपुर
30–लक्खो पुत्र नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी सागरपाडा तहसील व जिला धौलपुर
........................रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या 119
दि0 15.11.71 बाके ग्राम शेखूपुर द्वारा
तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट्स की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट नं.–1 की ओर से :– श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पोडेण्ट नं.–2लगा0 5 की ओर से :–श्री जयसिंह परमार एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट न0 6 व 7 की ओर से :–श्री भगवतीप्रसाद झां एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगा012 की ओर से:–श्री जे0पी0 शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं0 13 लगा0 17 की ओर से :–श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं0 20लगा025,27,28 की ओर से:– श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 20.9.2018

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि लालाराम पुत्र किशोर कौम कुम्हार निवासी शेखूपुर तहसील धौलपुर के आराजी खसरा नम्बर 495 रकवा 12 विस्वा, 496 रकवा 12 विस्वा, 498 रकवा 9 विस्वा, 499 रकवा 3 विस्वा वांके ग्राम शेखूपुर तहसील धौलपुर का अभिलिखित खातेदार काश्तकार था। लालाराम के निधनोपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा05 के पिता रामस्वरूप के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 119 तस्दीक कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारों पर पेश की है कि लालाराम के निधनोपरान्त रामस्वरूप के अलावा जगदीश एंव शिवदेई भी स्व0 लालाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी थे तथा जिनको छोडकर स्वीकार किया गया नामान्तकरण विधि विरूद्व था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को व उनकी माता शिवदेई को रेस्पोडेन्ट न01 ने न तो कोई सूचना दी तथा ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित करके विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों व प्राकृतिक न्यायिक सिद्वातों की अवहेलना की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार शिवदेई के निधन के पश्चात अपीलाधीन विवादित कृषि भूमि पर विरासतन नामान्तकरण हेतु हल्का पटवारी के पास अर्सा करीव 15 दिवस पूर्व जाने पर तथा रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर हुई। रामस्वरूप का निधन हो चुका है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा05 है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 को अपील के समय हस्ताक्षर करने उपलब्ध नहीं होने पर की बजह से तरतीवी रेस्पोडेन्टस बनाया गया है जिनका हित अपीलान्ट के समान है। अपीलाधीन आदेश एक अवैध आदेश है जिसमें कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गई है जिसको कानूनन कभी भी आक्षेपित कर निरस्त कराया जा सकता है विलम्ब शमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश तारीखी 15.11.1971 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 119 ग्राम शेखूपुर तहसील धौलपुर, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 40,139,142,204 सम्बत 2034 से 2037 ग्राम शेखूपुर तहसील धौलपुर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये तथा रेस्पोडेण्ट नं. 2लगा0 5 की ओर से श्री जयसिंह परमार एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट न0 6 व 7 की ओर से श्री भगवतीप्रसाद झां एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगा012 की ओर से श्री जे0पी0 शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट सं0 13 लगा0 17 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट,रेस्पोडेन्ट सं0 20लगा025,27,28 की ओर से श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार लालाराम पुत्र किशोर कौम कुम्हार थे। लालाराम के निधनोपरान्त रामस्वरूप के अलावा जगदीश एंव शिवदेई भी स्व0 लालाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी थे तथा जिनको छोडकर स्वीकार किया गया नामान्तकरण विधि विरूद्व था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को व उनकी माता शिवदेई को रेस्पोडेन्ट न01 ने न तो कोई सूचना दी तथा ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित करके विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों व प्राकृतिक न्यायिक सिद्वातों की अवहेलना की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार शिवदेई के निधन के पश्चात अपीलाधीन विवादित कृषि भूमि पर विरासतन नामान्तकरण हेतु हल्का पटवारी के पास अर्सा करीव 15 दिवस पूर्व जाने पर तथा रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर हुई। रामस्वरूप का निधन हो चुका है उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा05 है। अपीलाधीन आदेश एक अवैध आदेश है जिसमें कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गई है जिसको कानूनन कभी भी आक्षेपित कर निरस्त कराया जा सकता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार विधि धारा 8,9,10, आरआर टी 2002 पेज 723, आरआरटी 2002(1) पेज 269, 257 आर आर टी 2013(1) पेज 473 एवं आर आर टी 2014(1) पेज 229 की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार धौलपुर
अपील संख्या 42/2015

विद्वान अभिभाषकगण रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 39 वर्ष वाद अत्यधिक देरी के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील समय सीमा से वाहर है। विवादित भूमि में आवादी विकसित हो गई है। मकान निर्मित हो गये है तथा आवादी के काम आ रही है। पिछले 20 वर्ष से विवादित भूमि में कृषि कार्य नहीं हुआ है इसलिये धारा 90बी वर्तमान में धारा 90ए भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के आधीन उक्त खसरा नम्बरों के अधिकार खातेदारी वर्तमान नगर परिषद पूर्व मे नगर पालिका धौलपुर में निहित हो चुके है इसलिये वर्तमान अपील निरर्थक हो चुकी है। लालाराम की व्याहता पत्नी से रामस्वरूप व जगदीश दो पुत्र पैदा हुये थे। जगदीश का निधन पूर्व में हो गया था, लालाराम का निधन भी वर्ष 1950 के आस-पास आज से लगभग 66 वर्ष पूर्व हो गया था, उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं था। इसलिये एक पुरूष की सम्पत्ति में पुरूष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी एवं पुत्रियों को हिस्सा नहीं प्राप्त होता था। लालाराम की पत्नी जिससे रामस्वरूप व जगदीश उत्पन्न हुये का निधन लालाराम के निधन से पूर्व हो गया था तब उसने शिवदेई की विधवा मॉ से धरैजा किया, शिवदेई अन्य पुरूष की संतान होकर शिवदेई के साथ आई थी। इसलिये भी शिवदेई को लालाराम के निधन के पश्चात लालाराम की सम्पत्ति में न तो हिस्सा प्राप्त हो सकता था ना ही प्राप्त हुआ। उपरोक्त सभी तथ्य साक्ष्य के मौहताज है जो बिना पक्षकारों की साक्ष्य हुये सावित होना सम्भंव नहीं है। न्यायालय श्रीमान को अपीलीय न्यायालय होने के कारण साक्ष्य लेखबद्व करने का अधिकार नहीं है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में 1969 आर आर डी पेज 66, 1992 आर आर डी पेज 488, 1996 आर आर डी पेज 44 की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 119 म्याद बाहर है। दिनांक 15.10.1971 के नामान्तकरण की अपील 13.4.2015 को अर्थात 39 वर्ष पश्चात की गई है। इतनी अवधि बाद नामान्तकरण परिवर्तन से जटिलताऐं एंव वादकरण की बहुलता उत्पन्न होंगी। नामान्तकरण वित्तीय कार्यवाही है इसके माध्यम से अधिकारों का सृजन नहीं होता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों की धोषणा सक्षम न्यायालय में नियमित वाद से राहत प्राप्त कर सकते है। प्रश्नगत नामान्तकरण आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते । अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रतिलिपि मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावें। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner